

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:- गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:- 07/19 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. आसु पिता सुरजमल कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मथरालाल पिता नेना कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. कमला पुत्री नेना कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. धर्मी पत्नि नेना कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. नन्दा पिता भैरू कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. सुवालाल पिता भैरू कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. जमकु बेवा भैरू कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. प्यारा पिता नाथु कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. डालु पिता नाथु कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. भुरा पिता खेमा कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. सुखा पिता रेवत कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. कजोड़ पिता रेवत कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
13. मोहनी बेवा रेवत कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
14. मेमादेवी पत्नि भैरूलाल गुर्जर निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. छोगा पिता नारू गुर्जर निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. दीयाराम पिता नारू गुर्जर निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. मेवाराम पिता बालु गुर्जर निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. हीरा पिता रामा गुर्जर निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. मोडा पिता उदा गुर्जर निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. मांगु पिता नाथु गुर्जर निवासी बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

जाकिर हुसैन

अधिवक्ता प्रार्थीगण

दिनांक 07.03.2019

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बाड़ी पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 348 में अंकित आराजी स. 864 रकबा 0.27 हैक्ट. आराजी संख्या 865 रकबा 0.23 हैक्ट. आराजी संख्या 872 रकबा 0.21 हैक्ट. आराजी संख्या 873 रकबा 0.24 हैक्ट. आराजी संख्या 874 रकबा 0.20 हैक्ट. आराजी संख्या 875 रकबा 0.20 हैक्ट. आराजी संख्या 876 रकबा 0.22 हैक्ट. आराजी संख्या 877 रकबा 0.04 हैक्ट. आराजी संख्या 878 रकबा 0.03 हैक्ट. आराजी संख्या 900 रकबा 0.39 हैक्ट. आराजी संख्या 902 रकबा 0.13 हैक्ट. कुल कित्ता 11 कुल रकबा 2.06 हैक्ट. स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी नकल मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थना पत्र

की कलम संख्या 1 में अंकित प्रार्थीगण की कृषि आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में विपक्षीगण आये दिन दखलअंदाजी करते रहते हैं। जिससे प्रार्थीगण को अपने आराजियात में फसल काशत कर, फसल लाभ लेने मवेशी चराने व घास काटने में काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता हैं। जिससे प्रार्थीगण की कृषि आराजियात की पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा कई बार विपक्षीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने बाबत कहां परन्तु विपक्षीगण आये दिन आज कल में कराने की बात कहे कर हर बार टालमबाजी का जवाब देते आ रह है। प्रार्थीगण ने दिनांक 30.09.2018 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षी इंकार हो गये जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरुद्ध बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.18 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 10.01.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम बाडी पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 348 में अंकित आराजी स. 864 रकबा 0.27 हैक्ट. आराजी संख्या 865 रकबा 0.23 हैक्ट. आराजी संख्या 872 रकबा 0.21 हैक्ट. आराजी संख्या 873 रकबा 0.24 हैक्ट. आराजी संख्या 874 रकबा 0.20 हैक्ट. आराजी संख्या 875 रकबा 0.20 हैक्ट. आराजी संख्या 876 रकबा 0.22 हैक्ट. आराजी संख्या 877 रकबा 0.04 हैक्ट. आराजी संख्या 878 रकबा 0.03 हैक्ट. आराजी संख्या 900 रकबा 0.39 हैक्ट. आराजी संख्या 902 रकबा 0.13 हैक्ट. कुल किता 11 कुल रकबा 2.06 हैक्ट. स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काशत की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा दें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/- अक्षरे दौ सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1000/- अक्षरे एक हजार रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा